न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रेक) डीग

प्र0सं0, 186/2022,(जी.सी.एम.एस. न. 2022/360) पीठासीन अधिकारी श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. घनश्याम
2. जोरमल

पुत्रगण रत्ती उर्फ रतन

3. तुलाराम
4. जयप्रकाश
5. रामप्रसाद

पुत्रगण मेहन्दा नवीरान रत्ती उर्फ रतन

6. कमलेश
7. शमलेश
8. पप्पी

पुत्रियां मेहन्दा नवीरान रत्ती उर्फ रतन

जातियान गूजर नि0 दिदावली तहसील व जिला डीग(राज0)

-वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

-प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांकः 16.04.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ. ख. नम्बरान 528/0.19, 529/0.04, 530/0.16, 531/0.32, वाके ग्राम दिदावली तहसील डीग में स्थित है। आराजी खसरा नम्बरान 528, 529, 530, 531 को दौराने भू-प्रबंध साविक खसरा नम्बर 446 मिन 4-19 से निर्मित किया है। साविक खसरा नम्बर 446 मिन 4-19 वादीगण के पूर्वज रघुवीर वगै0 के कब्जे काश्त, खुदकाश्त की आराजी रही है जिस पर हमेशा से उक्त रघुवीर का कब्जा काश्त संबत 2012 से पूर्व से रहा है। उक्त रघुवीर की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी मुत0 पर वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता वादी संख्या 3 लगायत 8 के बाबा रत्ती का कब्जा काश्त रहा है। उक्त रत्ती की मृत्यु के पश्चात वादी संख्या 1 व 2 हि0 1/3-1/3 तथा वादीगण संख्या 3 लगायत 8 हि0 1/3 में व हि0 बराबर के काबिज काश्त है। आराजी मुत0 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गलत तौर पर गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा रहा है। जबकि वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त उक्त आराजी पर वजमाने बुजुर्गान चला आ रहा है व वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। आराजी मुत0 पर खातेदारी प्राप्ति हेतु वादी संख्या 1 व

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

2 तथा वादीगण संख्या 3 लगायत 8 के बाबा रत्ती ने न्यायालय श्रीमानजी में वादपत्र उनवानी रत्ती बनाम तहसीलदार डीग मुकदमा नम्बर 208/1973 अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया जिसमें तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में वर्णित की गई व तनकी संख्या 1 में विवादग्रस्त आराजी सम्बत 2012 से ही वादी की खुदकाश्त के होने से उनके खातेदारी की भूमि होना माना है तथा आदेश में बंजर कदीम की दर से वादी सम्बत 2021 से निर्णय की दिनांक 27.08.1975 तक लगान देय होना माना है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 528/0.19, 529/0.04, 530/0.16, 531/0.32, वाके ग्राम दिदावली तहसील डीग पर वादी संख्या 1 हि0 1/3, वादी संख्या 2 हि0 1/3 तथा वादी संख्या 3 लगायत 8 हि0 1/3 में व हि0 बरावर के वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गैर खातेदार के इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 07.02.2024 को जबाव सरकार पेश किया गया।

पैरोकार सरकार ने अपने जबाव में अंकित किया कि दावा वादीगण स्वीकार नहीं है। वादपत्र में अंकित भूमि से सम्बन्धित सम्बत 2012 का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। भूमि के कस्टोडियन। गैर कस्टोडियन होने सम्बन्धी रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किये है। रिकार्ड के अभाव में दावा काबिले खारिजी है।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर दिनांक 17.05.2024 को तनकीयात कायम की गई:-

1. आया बाके ग्राम दिदावली तहसील डीग स्थित आराजी खसरा नम्बरान 528/0.19, 529/0.04, 530/0.16, 531/0.32 पर वादी संख्या 1 हिस्सा 1/3, वादी संख्या 2 हि0 1/3 तथा वादी संख्या 3 लगायत 6 हि0 1/3 में बाहिस्सा बरावर के वाहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है जिसके स्थान पर वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है?
2. दीगर दादरसी क्या है?

साक्ष्य वादीगण में दिनांक 02.08.2024 को घनश्याम पुत्र रत्ती उर्फ रतन का शपथ पत्र पेश किया गया। पीडब्ल्यू-1 घनश्याम व पीडब्ल्यू-2 विश्राम सिंह पुत्र जोरमल के बयान दर्ज करवाये गये तथा साक्ष्य वादीगण बन्द की जाकर दावे की बहस हेतु रखा गया।

दिनांक 17.02.2025 को तहसीलदार डीग से वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रिकार्ड,मौका व कब्जे के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताविक तहसीलदार डीग की रिपोर्ट जमाबन्दी सम्बत 2073-76 वाके ग्राम दिदावली के खाता संख्या 193 पर खसरा नम्बर 528/0.19, 529/0.04, 530/0.16 व 531/0.32 किस्म बारानी प्रथम पर घनश्याम पुत्र रत्ती उर्फ रतन हि0 1/3 जोरमल पुत्र रत्ती उर्फ रतन हि0 1/3 कमलेश,शमलेश,पप्पी पुत्रियांन महेन्द्रा,तुलाराम,जयप्रकाश,रामप्रकाश पिस0 महेन्द्रा व हिस्सा बरावर 1/3 जातियान गुर्जर साकिन दिदावली गैर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ऊपर वर्णित खसरों पर उक्त गैर खातेदारों द्वारा ही कब्जा काश्त की जा रही है। मौके पर उक्त खसरों में सरसों की फसल खडी हुई है।

दिनांक 17.02.2025 को पैरोकार सरकार ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी साविक खसरा नम्बर 446 मिन रकबा 4 वीघा 19 विस्वा से बनना दर्शाया गया है। उपरोक्त आराजी साविक खसरा नम्बर 446मिन रकबा 4 वीघा 19 विस्वा राजकीय भूमि किस्म गै.मु.आगार को जरिये इ0नम्बर 233 से वादीगणों के पूर्वज रत्ती पुत्र रघुवीर कॉम गूजर सा0देह गैर खातेदार दर्ज किया गया था। परन्तु निर्णय में चारागाह किया जावे जो अस्पष्ट है। पत्रावली में रिकार्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के राजस्व वाद संख्या 208/73 निर्णय दिनांक 27.08.75 शामिल है जिसमें साविक खसरा नम्बर 446 मिन रकबा 4 वीघा 19 विस्वा पर खातेदार काश्तकार घोषित किये गये। परन्तु रिकार्ड में अमल हुआ था या नहीं इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज शामिल पत्रावली नहीं किया गया है। वादीगणों का दावा रिकार्ड के अभाव में खारिज किया जावे। वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

हमने वादीगण के वादपत्र,पैरोकार सरकार के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू-1 घनश्याम पुत्र रत्ती उर्फ रतन पीडब्ल्यू-2 विश्राम सिंह के बयान,प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 वाके ग्राम दिदावली के खसरा नम्बर 528/0.19, 529/0.04, 530/0.16, 531/0.32, किस्म बारानी प्रथम में घनश्याम,जोरमल,महेन्द्रा पिस0 रत्ती उर्फ रतन हि0 बरावर 1/3 जाति गूजर सा0 दिदावली गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श-2, राजस्व वाद संख्या 208/73, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग रत्ती पुत्र रघुवीर बनाम सरकार निर्णय दिनांक 27.08.75 अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विवादग्रस्त आराजी की किस्म रिकार्ड में गैर मुमकिन आगार दर्ज है,किन्तु मौके पर वहां जिन्स हो रही है। अतः उसका लगान पास की बंजर कदीम भूमि खसरा नम्बर 337 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा के अनुसार बंजर कदीम तय किया जाता है और बंजर कदीम से ही वादी से सम्बत 2011 से आज तक लगान देय होगा। पारित निर्णय है।

प्रदर्श-3, मु0नम्बर 208/1975 में पारित डिक्री की प्रमाणित प्रति है।

प्रदर्श-4, मु0नम्बर 208/1975 में वादी के वादपत्र की प्रमाणित प्रति है।

प्रदर्श-5, भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 की प्रमाणित प्रति है जिसमें हाल खसरा नम्बर 528/0.19 साविक खसरा नम्बर 446 रकबा 4 वीघा 19 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 529/0.04 साविक खसरा नम्बर 446 मिन से हाल खसरा नम्बर 530/0.16 साविक खसरा नम्बर 446मिन से हाल खसरा नम्बर 531 रकबा 0.32 साविक खसरा नम्बर 446मिन, 448मिन से बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श-6,नकल नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 30.12.1975 जिसमें साविक खसरा नम्बर 446 मिन रकबा 4 वीघा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन आगार राजकीय भूमि से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के प्रकरण संख्या 208/73 निर्णय दिनांक 27.08.75 की पालना में दर्ज कर रत्ती पुत्र रघुवीर कॉम गूजर सा.देह गैर खातेदार दर्ज किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श-7,प्रमाणित नकल मिसल हकीयत सम्बत 2040 में हाल खसरा नम्बरान 528,529,530,531 का रत्ती बल्द रघुवीर जाति गूजर सा0देह गैर खातेदार दर्ज किया गया है। भूमि की किस्म बारानी प्रथम दर्ज की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गई:-

<u>तनकी संख्या:-1,</u> आया वाके ग्राम दिदावली तहसील डीग में स्थित आराजी खसरा नम्बरान 528/0.19, 529/0.04,530/0.16,531/0.32 पर वादी संख्या 1 हिस्सा 1/3, वादी संख्या 2 हि0 1/3 तथा वादी संख्या 3 लगायत 6 हि0 1/3 में बाहिस्सा बरावर के वाहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है जिसके स्थान पर वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इसके समर्थन में प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 वाके ग्राम दिदावली पेश की है। जिसके मुताविक खसरा नम्बरान 528/0.19, 529/0.04,530/0.16,531/0.32 किस्म बारानी प्रथम पर वादीगण गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श-2,3,4 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के राजस्व वाद संख्या 208/73 निर्णय दिनांक 27.08.75 के निर्णय डिक्री वादीगण के वादपत्र की प्रमाणित नकलें है।

प्रदर्श-5,भू-पबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 की प्रमाणित प्रति है जिसमें बादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नम्बरान का सविक खसरा नम्बर 446 मिन,448 मिन से बनना प्रदर्शित है। प्रदर्श-6 नकल नामा0 संख्या 233 दिनांक 30.12.75 है जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के प्रकरण संख्या 208/73 निर्णय दिनांक 27.08.75 की पालना में वादीगण के पूर्वज रत्ती पुत्र रघुवीर कॉम गूजर को गैर खातेदार दर्ज किया गया है।

प्रदर्श-7, मिलस हकीयत सम्बत 2040 की नकल है जिसमें वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर रत्ती वल्द रघुवीर जाति गूजर की गैर खातेदार दर्ज करते हुए भूमि की किस्म बारानी प्रथम दर्ज की गई है।

तहसीलदार डीग ने दिनांक 17.02.2025 को प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड मौके व कब्जे के सम्बन्ध में वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त एवं हाल रिकार्ड में दर्ज होना स्वीकार किया है। पैरोकार सरकार का यह कथन है कि रिकार्ड के अभाव में दावा वादीगण अस्वीकार किया जावे। स्वीकार योग्य नहीं है।

तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या:-2,</u>दादरसी?

उभय पक्ष अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करें।

तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आदेश है कि:–

वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट, उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाकर डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 528/0.19, 529/0.04, 530/0.16, 531/0.32 वाके ग्राम दिदावली तहसील डीग पर वादी संख्या 1 हिस्सा 1/3, वादी संख्या 2 हिस्सा 1/3 तथा वादी संख्या 3 लगायत 8 हिस्सा 1/3 व हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के गैर खातेदार के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। **तहसीलदार, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क बकाया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराई जाकर वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।** तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुल न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग)

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner